



@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UPHIN/2019/79073 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

लखनऊ से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

लखनऊ, बुधवार, 06 मई 2026

गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित

ग्राम पंचायत में सुबह आनलाइन व शाम को आफलाइन मजदूरों की लग रही हाजिरी...02

वर्ष 07, अंक 210, पृष्ठ 12, मूल्य: 03 रुपया

कम्पोजिट विद्यालय के सीनियर शिक्षक को निलंबित करने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग मौन....11

www.swatantraprabhat.com

ये याचिका क्यों दायर की.. क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं? सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में याचिकाकर्ता से पूछे सवाल
- सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला विवाद में याचिका दायर करने वाले इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन को कड़ी फटकार लगाई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन से पूछा क्या उनके पास कोई और काम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रवि प्रकाश गुप्ता ने दलील पेश की।



न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं। पीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जयमाल्या बागची शामिल हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कोई भी जूरिस्टिक बॉडी यानी कानूनी संस्था व्यक्तिगत आस्था का दावा नहीं कर सकती। उन्होंने टिप्पणी की, विश्वास व्यक्ति का होता है, संस्था का नहीं। आपके पास कोई कांशियंस (अंतरात्मा) नहीं है।

कि 2006 में प्रकाशित चार समाचार रिपोर्टों के आधार पर यह PIL दायर की गई थी। संगठन का उद्देश्य भगवान अय्या के भक्तों की आस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि उसे बनाए रखना है। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। वकील रवि प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मंदिर के तंत्री यानी मुख्य पुजारी ने पहले यह मत व्यक्त किया था कि कम उम्र की महिलाओं का प्रवेश देवता की इच्छा के विरुद्ध है। साथ ही, उन्होंने नौ-न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भ में कुछ न्यायाधीशों की टिप्पणियों पर आपत्ति भी जताई।

युवा वकीलों के हित में काम करना चाहिए: सूर्यकांत
जस्टिस अरविंद कुमार ने भी संगठन से

2018 का ऐतिहासिक फैसला
इस मामले में सबरीमाला मंदिर प्रवेश संबंधी फैसला 2018 के तहत पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सितंबर 2018 में 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को अस्वैधानिक घोषित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि यह प्रथा महिलाओं के मौलिक अधिकारों विशेष रूप से समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। हालांकि, इस फैसले के बाद देशभर में व्यापक बहस और विरोध-प्रदर्शन हुए। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें धार्मिक परंपराओं और संविधान के अधिकारों के बीच संतुलन पर सवाल उठाए गए।

संक्षिप्त खबरें
आकाशीय बिजली के चपेट में 8 बकरियों की मौत दो चरवाहे घायल

मिर्जापुर। अहौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हिनौता फुलवरिया के निकट आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 8 बकरियों का मौके पर ही मौत हो गई और दो महिला चरवाहा मुन्नी देवी पति बाबूलाल उम्र लगभग 45 वर्ष व मुन्नी देवी पति सुदामा उम्र लगभग 47 वर्ष निवासी हिनौता फुलवरिया प्रत्येक दिन की तरह बकरियां चरा रही थीं दिन की लगभग 12:30 बजे आकाशी बिजली के चपेट में आने से 8 बकरियों की मौत हो गई, और दोनों महिला घायल हो गईं। मुन्नी देवी पति सुदामा को निजी अस्पताल अदलहाट में भर्ती कराया गया, और वहीं दूसरी महिला को नजदीकी चिकित्सक से दवा इलाज कराया गया। सूचना मिलते उपरांत मौके पर पहुंची पीआरबी 112 नंबर से पीडित महिला ने मुआवजे की मांग किया पीआरबी 112 नंबर ने अहौरा थाना पर प्रार्थना पत्र देने हेतु कार्यवाही की आश्वासन दिया पीडित महिला ने बताया कि जिविकापार्जन का मात्र एक साधन था।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर बदला फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
उत्तर प्रदेश में सड़कों पर पड़े स्मार्ट मीटर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें लगभग सभी जिलों से सामने आईं। इन तस्वीरों ने योगी आदित्यनाथ सरकार की बचैनी बढ़ा दी। यह साफ होने लगा कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और मामला धीरे-धीरे जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इसके बाद सरकार ने एक के बाद एक फैसले लिए और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने का निर्णय किया। आइए जानते हैं कि योगी सरकार स्मार्ट मीटर पर बैकफुट पर कैसे आ गई, हालांकि अभी भी प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों में मन में संशय क्यों है?
तीन साल पहले शुरू हुई थी स्मार्ट मीटर की योजना
दरअसल, तीन साल पहले सरकार ने प्रदेश में बड़े स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य रिजल्ट-टाइम खपत की जानकारी, ऑनलाइन बिलिंग और बिजली चोरी पर रोक लगाना था। करीब 70 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए और नए कनेक्शन पर इसे

अनिवार्य किया गया। इस व्यवस्था में उपभोक्ता पहले रिचार्ज करता था और फिर बिजली का उपयोग करता था। हालांकि, जैसे ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बिल आने शुरू हुए, उपभोक्ताओं को लगा कि उनसे ज्यादा वसूली हो रही है। कई जिलों में शिकायतें बढ़ीं और ज्यादा बिल आने के आरोप लगे।
बिजली कटने की शिकायतों के बाद बवाल
बैलेंस खत्म होते ही बिजली कटने की शिकायतें भी तेजी से सामने आईं। उपभोक्ताओं का कहना था कि बैलेंस निगेटिव होते ही बिजली काट दी जाती है और भुगतान के बाद भी 24 से 72 घंटे तक आपूर्ति बहाल नहीं होती। कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मीटर उखाड़कर फेंक दिए, उपभोक्ताओं का आरोप था कि जहां पहले महीने का बिल करीब 600 रुपये आता था, वहीं अब हर हफ्ते इतना खर्च हो रहा है।
जनाक्रोश को देखते हुए सरकार ने अप्रैल में राहत देने की घोषणा की। इसके तहत बैलेंस खत्म होने पर अधिकतम तीन दिन या माइनस 200 रुपये तक बिजली न काटने

टीवीके की लहर के बीच तमिलनाडु में BJP की करारी हार, खाते में आईं सिर्फ एक सीट



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
ब्यूरो प्रयागराज। तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तहत 27 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रही। बीजेपी ने अप्रैल 2025 में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया और 2026 के विधानसभा चुनावों में 2021 की तुलना में अधिक सीटों के साथ प्रवेश किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने बेहतर प्रदर्शन और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं की तैनाती के बल पर पार्टी को उम्मीद थी कि वह अपने संगठनात्मक बल को चुनावी लाभ में तब्दील कर पाएगी, हालांकि यह रणनीति जमीनी स्तर पर कारगर साबित नहीं हुई। इस चुनाव में नैनार नागेन्द्रन, एल. सुरगन, तमिलिसाई सौंदरराजन और वनथी श्रीनिवासन सहित कई प्रमुख नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। उनकी हार ने पार्टी के भीतर आंतरिक समीक्षा को तेज कर दिया है और नेतृत्व रणनीति तथा चुनाव प्रचार के क्रिया-न्यवन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के सहयोगी दल भी चुनावी प्रभाव झलने में विफल रहे। जी.के. वासन के नेतृत्व वाली तमिल मानिला कांग्रेस (मूणाम) गठबंधन व्यवस्था के तहत लड़ी गई सभी पांच सीटों पर हार गई। अन्य छोटे सहयोगी दल भी अपनी उपस्थिति को जीत में तब्दील नहीं कर सके, जो गठबंधन की वोट हस्तांतरण प्रणाली को व्यापक विफलता को दर्शाता है। बीजेपी के खराब प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण कारण अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलना वेटी कडगम (टीवीके) का उदय था, जिसने पारंपरिक मतदान पैटर्न को बाधित कर दिया।

टीवीके ने मांगा समर्थन, प्रदेश कांग्रेस करेगी फैसला... बोले के.सी वेणुगोपाल

● तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद तेज
● तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े (118) से दूर रह गई।
● सरकार बनाने के लिए टीवीके ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है।
● कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाई को धर्मनिरपेक्ष सरकार और भाजपा हस्तक्षेप को रोकने की शर्त के साथ इस अनुरोध पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
कांग्रेस के महासचिव के.सी वेणुगोपाल ने कहा कि विजय की टीवीके ने उनसे समर्थन के लिए संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस नेताओं को विजय के आग्रह पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। के.सी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि टीवीके अध्यक्ष थिरु विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से सपोर्ट मांगा है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल मिशन में पेरुमथलाइवर कामराज से भी प्रेरणा लेने की बात कही है। इस बीच, विजय को टीवीके विधायक दल का नेता चुना गया है। कांग्रेस ने साफ किया है कि तमिलनाडु में जनादेश एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है, जो संविधान की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का पक्का इरादा है कि भाजपा और उसके प्रॉक्सी किसी भी तरह से तमिलनाडु सरकार न चलाए।
प्रदेश कांग्रेस लेगी अंतिम फैसला
उन्होंने आगे लिखा, इसलिए, कांग्रेस ने नेतृत्व ने तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस को चुनावी नतीजों में दिखाई देने वाली राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए थिरु विजय की रिक्वेस्ट पर आखिरी फैसला लेने का निर्देश दिया है। हालांकि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वे आधी सीटें भी



पार नहीं कर पाईं। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में सिंपल मेजॉरिटी के लिए 118 सीटों की जरूरत है। टीवीके ने 108 सीटें जीतीं, जो लगभग 10 सीटों से कम थीं। डीएम के के नेतृत्व वाले अलायंस को 73 सीटें मिलीं। डीएम के ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने जिन 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से पांच पर जीत हासिल की। वीसीक, सीपीआई और सीपीआई (एम) ने दो-दो सीटें जीतीं।
तमिलनाडु में सरकार बनाने की कवायद तेज
इससे पहले दिन में, वीसीके प्रेसिडेंट थोल थिरुमावलवन ने कहा कि पार्टी ने विजय को सपोर्ट देने पर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कदम लेफ्ट के साथियों से सलाह-मशविरा करके ही उठाया जाएगा। डीएमके के नेता, प्रेमलता विजयकांत ने भी विजय से कोई वादा करने से इनकार दिया, और कहा कि पार्टी डीएमके की लीडरशिप वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (एसपीए) में बने रहने का इरादा रखती है। इस बीच, लेफ्ट पार्टियों ने कहा कि वे समय आने पर फैसला करेंगे।

VIPहाउस में चोरी से हड़कंप, मंत्री के घर से लाखों नहीं, 1.13 करोड़ के गहने पार...

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
कर्नाटक बेंगलुरु में चोरी ने एक मंत्री के घर को निशाना बनाया और 1.13 करोड़ रुपये के गहने पार कर दिए, पुलिस ने मिला जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपी बार मंत्री के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे लेकिन वो किसी को नजर में नहीं आते थे। मंत्री ने को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 1.13 करोड़ रुपये के चोरी किए गए गहने बरामद किए हैं। शिवाजीनगर पुलिस ने मंत्री जमीर अहमद खान के घर से करोड़ों रुपये के सोने के आभूषण चुराने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सैयद आमिर और आमिर अहमद हैं। पिछले एक साल से छवनी के पास स्थित मंत्री जमीर के घर से 1.13 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण चरगबद्ध तरीके से चोरी हो रहे थे। बाद में, जमीर अहमद की मां की शिकायत पर, शिवाजीनगर पुलिस ने जांच की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि उन्होंने

यात्रा व्यवसाय में हुए नुकसान के कारण यह अपराध किया।
मंत्री के घर से 1.13 करोड़ रुपये के गहने चोरी
उन्होंने चोरी किए गए 1.13 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण गिरवी रखकर घन जुटाया था और लाभ कमाने के लिए अचल संपत्ति में निवेश करने की योजना बनाई थी। हालांकि, जब उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया, तो दोनों पर सदेह पैदा हुआ और पुलिस की जांच के बाद अपराध का खुलासा हुआ। आरोपियों ने माना की उन्होंने ने ही, चोरी का वारदात को अंजाम दिया था और उन पर किसी को शक ना हो इसके लिए वो कई बार में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने चोरी वारदात को कबूल किया है। आरोपियों ने कहा कि उन्हें एक बिजनेस में घाटा हुआ था जिसके बाद वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर घाटे को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कई बार में 1.13 करोड़ रुपये की चोरी की और उसे गिरवी रखकर पैसे हासिल किए, पैसे को इनवेस्ट कर मुनाफा कमाने की फिराक में थे।

